



कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला - धमतरी



E-mail:- dhamtari.cssdm@gmail.com PH.NO. 07722-232504

क्रमांक / 4079 / जि.पं. / CSSDA / 2016-17

धमतरी, दिनांक 13/02/2017


—00—

कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला धमतरी को विभागीय दौरा हेतु वाहन किराये पर लिए जाने हेतु किराये पर मुहरबंद निविदा 25.02.2017 तक कार्यालयीन समय तक स्वीकार किए जाएंगे।

निम्नलिखित नियम एवं शर्तों की पात्रता के अधार पर वाहन का चुनाव किया जाएगा।

1. वाहन के निविदा हेतु आवेदन के साथ आर.सी.बुक./बीमा के दस्तावेजों की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
2. वर्तमान में वाहन अन्य शासकीय विभाग में संलग्न हो तो जानकारी दें।
3. प्रतिमाह 2000 कि.मी. तक का ईंधन व्यय वाहन मालिक/फर्म को वहन किया जाना है। तत्पश्चात् 10 रु. प्रति कि.मी. का देय पृथक से दिया जावेगा।
4. ड्रायवर वाहन मालिक/फर्म द्वारा नियुक्त किया जावेगा एवं वेतन का भुगतान आपके द्वारा किया जावेगा।
5. रख-रखाव एवं मेंटेनेंस फर्म द्वारा किया जावेगा।
6. अधिकतम देय राशि प्रतिमाह रु. 25000.00 रु अक्षरी पच्चीस हजार रुपये होगा।
7. वाहन इंडिका, टियागों, स्विफ्ट, रिट्ज, बोलेरो, इर्टिगा, इंडिगो, पून्टों, स्कापियों, इनिवों, इटियास या समतुल्य श्रेणी में से होना चाहिए।
8. वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जो कि स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
9. टैक्सी में पंजीकृत को प्राथमिकता दिया जावेगा।

उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अधीन निविदा मान्य होगा।


जिला कौशल विकास अधिकारी
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
प्रथम तल जिला पंचायत धमतरी
जिला - धमतरी